Neutral Citation
2021:CGHC:12165

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विधिक याचिका क्रमांक– 562/2021

निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक – 22.06.2021

आदेश दिनांक – 30.06.2021

राजेश सोनी पिता श्री पी.आर. सोनी, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी– हर्ष टॉवर के सामने, देवपुरी, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)

———**याचिकाकर्ता**

बनाम

मुकेश वर्मा पिता स्वर्गीय जे.पी. वर्मा, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी– सूरज किराना स्टोर के सामने, नंदी चौक, टिकरापारा, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)

———**उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए : श्री डी.के. ग्वालरे

माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास

सीएवी आदेश

1. याचिकाकर्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया की धारा 482 के अंतर्गत यह याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) द्वारा परिवाद प्रकरण क्रमांक – 1777/2019 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2019 को चुनौती दी गई है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में ''अधिनियम, 1881'') की धारा 143क के अंतर्गत परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया गया है एवं याचिकाकर्ता को चेक राशि का 20 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही एकादश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर, जिला– रायपुर (छ.ग.) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2021 के आदेशानुसार याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण को निरस्त कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि परिवादी/उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध धारा 138 अधिनियम, 1881 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट

प्रथम श्रेणी रायपुर, जिला– रायपुर (छ.ग.) के समक्ष दिनांक 09.01.2019 को मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए परिवाद दर्ज कराई है, कि याचिकाकर्ता ने 6,50,000/–रूपये का एक चेक दिनांकित 26.11.2018 का उक्त चेक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा– छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर में अपने खाते में आहरण हेतु जमा किया था। उक्त चेक दिनांक 04.12.2018 को अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गया। अत : याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध किया गया है।

3. परिवादी ने दिनांक 17.12.2018 को याचिकाकर्ता को एक विधिक नोटिस भेजा, तत्पश्चात् याचिकाकर्ता द्वारा पेश की राशि का भुगतान नही किये जाने पर परिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के समक्ष परिवाद प्रकरण क्रमांक 1777/2019 दायर किया, परिवाद पर संज्ञान लेते हुए विद्ववान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने याचिकाकर्ता को समन जारी किया। दिनांक 04.05.2019 को परिवादी ने अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें तर्क किया है कि आरोप पूर्व में ही विरचित किया जा चुका हैं, किन्तु उन्होने अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। अग्रेतर परिवादी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के प्रावधानों के अनुसार, यदि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित हो चुका हैं, तो नयायालय द्वारा चेक राशि के 20 प्रतिशत की सीमा तक अंतरिम प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है, इसलिए उनहोनें अंतरिम प्रतिकर के रूप में राशि का 20 प्रतिशत प्रदान किए जान का निवेदन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विद्ववान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए आदेश दिनांक 24.12.2019 के द्वारा अभियुक्त को चेक राशि का 20 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में भुगतान करने हेतु निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता के विरूद्ध धारा 143–क की उपधारा (5) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जाएगी, तत्पश्चात् मामले की सुनवाई दिनांक 20.01.2020 को तय की जाएगी।

5. उपरोक्त आदेश के क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता द्वारा सत्र न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक– 102/2020 प्रस्तुत किया गया, जिससे एकादश अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। विद्ववान एकादश सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 06.03.2021 के द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण को यह निष्कर्षित करते हुए निरस्त कर दिया कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश में कोई अवैधता एवं अनियमितता नहीं है और यह अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के संशोधित प्रावधानों के अनुरूप है। याचिकाकर्ता द्वारा इन दोनों को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्ववान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1881 की धारा– 143–क के संशेधित प्रावधान के अनुसार अंतरिम प्रतिकर देना अनिवार्य नहीं है और यह वैवेकिक है, इसलिए प्रत्येक मामले में चेक राशि का 20 प्रतिशत अंतरिम प्रतिकर देना आवश्यक नही है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के संशोधित प्रावधान की ओर आकर्षित किया है, जिसका उद्धरण निम्नानुसार हैः–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **143–क. – अंतरिम प्रतिकर का निदेश देने की शक्ति –** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखीवाल को –
>
> (क) संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहां उसने परिवाद में किए गए अभियोग का दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया हो; और
>
> (ख) अन्य किसी मामले में आरोप विरचित किए जाने पर,
>
> परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम के बीच प्रतिशत से अधिक नही होगा।

(3) अंतरिम प्रतिकर का संदाय, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन के अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए, किया जाएगा।

(4) यदि चेक के लेखीवाल को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रकाशित बैंक दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने का निर्देश देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इस धारा के अधीन संदेय अंतरिम प्रतिकर इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानों यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 के अधीन कोई जुर्माना था।

(6) धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम में से इस धारा के अधन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई रकम घ टा दी जाएगी।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा '**एल.जी. आर. एंटरप्राइजज एवं अन्य बनाम पी. अनबझगन**'[1] मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हुए निर्णय के कण्डिका– 18 की ओर इस न्यायालय द्वारा ध्यान आकृष्ट किया, जो निम्नानुसार हैः–

1 AIR Online 2019 Mad 801

''18. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ने से परिलक्षित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधन के भविष्यलक्ष्मी/भूतलक्षी प्रभाव और विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। न्यायालय ने कोई कारण नही बताया है कि वह आरोपी द्वारा परिवादी को 20 प्रतिशत का अंतरिम प्रतिकर देने का निर्देश क्यों दे रही है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अंतरिम प्रतिकर के लिए आदेश देने में विचारण न्यायालय के पास निहित वैवेकिक शक्ति कारणों से समर्थित होनी चाहिए और दुर्भाग्य से इस प्रकरण में, यह कारणों द्वारा समर्थित नहीं है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश में कुछ कारणों को पढ़ने का प्रयास, इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न्यायालय अपने विवेक के प्रयोग कर आलोच्य आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय के विवेक प्रयोग का परीक्षण कर रहा है और यह न्यायालय उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए कारणों के साथ इसके कमी को पूर्ण करने का प्रयास नहीं कर सकता है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि चूंकि विधायिका ने ''दे सकेगा'' (may) शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यह विवेकाधीन है और विद्वान विचारण न्यायालय को अंतरिम प्रतिकर के रूप में चेक राशि का 20 प्रतिशत नहीं देना चाहिए था, इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित नहीं हैं, जो इस न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क पर ध्यान देने के पूर्व यह देखा जाना समीचीन है कि अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के संशोधित प्रावधान के उद्देशिका और लक्ष्य, जा निम्नानुसार है :–

''परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अधिनियम) को वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित करने और संशोधित करने के लिए

अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम को समय–समय पर संशोधित किया जाता रहा है, जिससे अन्य बातों के साथ–साथ चेकों के अनादरण के अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान का उपबंध किया जा सके। तथापि, केन्द्रीय सरकार को जनता से, जिसके अंतर्गत व्यापारिक समुदाय भी आते है, चेक अनादरण मामलों के लंबित रहने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसका कारण, अपीलें फाईल करने और कार्यवाहियों पर निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने में सरलता के कारण अनाद्धूत चेकों के बेईमान लेखीवालों के विलंबकारी दाव–पेंच हैं। इसके परिणामस्वरूप किसी अनाद्धूत चेक के ऐसे पाने वाले के साथ अन्याय होता है, जिसे चेक के मूल्य को वसूल करने के लिए न्यायालय की कार्यवाहियों में अत्यधिक समय और साधन गंवाने होते हैं। ऐसे विलंबों से चेक संव्यवहारों की आदरणीयता पर जोखिम होता है।

2. चेक अनादरण मामलों में अंतिम समाधान में असम्यक् विलंब के मुद्दे का हल करने का दृष्टि से उक्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे अनादरित चेकों के पाने वालों को अनुतोष प्रदान किया जा सके तथा तुच्छ और अनावश्यक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित किया जा सके, जिससे समय और धन की बचत होगी। प्रस्तावित संशोधनो से चेकों की विश्वसनीयता सुदृढ़ होगी और उधार देने वाले संस्थाओं को, जिसके अंतर्गत बैंक भी आते है, अर्थव्यवस्था के उत्पादक सेक्टरों को वित्त पोषण करना जारी रखने की अनुज्ञा देकर साधारणतया व्यापार और वाणित्य में सहायता मिलेगी।''

10. अधिनियम, 1881 के साथ–साथ अधिनियम, 1881 की संशोधित धारा 143–क के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1881 ने भारतीय वाणिज्यिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और व्यापार की उचित प्रक्रिया के चूककर्ताओं के विरूद्ध उचित दण्ड प्रावधानित की गई है जो कपटपूर्ण गतिविधियों में संलग्न हैं जो चेक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनादरण के माध्यम से सही प्राप्तकर्ताओं को गैरकानूनी हानि पहुंचाते हैं। तत्पश्चात् विधायिका ने अधिनियम, 1881 में संशोधन किया, जो 01.09.2018 को अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही की प्रभाव और समीचीनता को बढ़ाने के साथ–साथ परिवादी के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लागू हुआ। अधिनियम, 1881 की धारा 143–क में यह प्रावधान है कि अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही के कतिपय चरणों में न्यायालय मामले के लंबित रहने के दौरान चेक के लेखीवाल को चेक की राशि का 20 प्रतिशत तक भुगतान करने का आदेश दे सकता है। अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के अंतर्गत आदेश केवल संक्षिप्त विचारण या समन मामले में पारित किया जा सकता है, जहां वह आरोप विरचित होने पर परिवाद/परिवाद में लगाए गए आरोपों के लिए दोषी नही होने का दावा करता है।

11. अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अंतरिम उपाय प्रदान करके संशोधन किया गया है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि चेक के लेखीवाल के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने के पूर्व अंतरिम अवधि में परिवादी के हितों को बरकरार रखा जाए। इस प्रावधान की मंशा अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान परिवादी को सहायता प्रदान करना है, जहां वह पूर्व से ही, चेक के अनादरण से प्राप्तियों के नुकसान और दावे और प्रकरण को आगे जारी रखने में परिवाद में होने वाले व्यय से पीड़ित है। यह संशोधन न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को कम करेंगे चूंकि आम जनता पर निवारक प्रभाव के साथ–साथ प्रक्रिया का निश्चितता सुनिश्चित होगी, जिसका अतीत में अभाव था, विशेष रूप से अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के प्रमुख चरणों में लागू की गई। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में 2018 के संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तन महत्वपूर्ण प्रकृति के है और ऐसी कार्यवाही में परिवादी के हितों को बनाए रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के संशोधित प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रयुक्त शब्द ''दे सकेगा'' (may) परिवादी के लिए लाभदायक है क्योंकि परिवादी पूर्व ही आरोपी द्वारा राशि का भुगतान नही किये जाने के सामूहिक कृत्य के लिए पीड़ित हो चुका है, इसलिए यह परिवादी के साथ–साथ आरोपी के हित में है कि यदि चेक राशि का 20 प्रतिशत का भुगतान आरोपी द्वारा किया जाता है, जबकि आरोपी सुरक्षित पक्ष में हागी क्योंकि राशि पूर्व से ही अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के अंतर्गत पारित आदेष के अनुसरण में जमा की गई है। जब उसके विरूद्ध अंतिम निर्णय पारित किया जाता है, तो उसे कम भत्ते का भुगतान करना पड़ता है। अधिनियम, 1881 की धारा 143 क को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह परिवादी के साथ–साथ अभियुक्त के हितों को सुरक्षित रखता है, अतः अधिनियम, 1881 की संषोधित धारा 143 क के उद्देष्यों और लक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शब्द ''दे सकेगा'' (may) को 'देगा' (shall) के रूप में माना जा सकता है और यह वैवेकिक नहीं है, बल्कि निर्देषात्यम प्रकृति का है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बच्चन देवी एवं अन्य बनाम नगर निगम, गोरखपुर एवं अन्य**[2] के मामले में प्रयुक्त ''दे सकेगा'' के स्थान पर ''देगा'' शब्द का प्रयोग तथा निर्देषात्मक प्रकृति के प्रभाव की जांच की है, जो निम्नानुसार हैः–

> ''18. यह सुस्थापित है कि किसी वैधानिक प्रावधान में ''दे सकेगा'' ;उंलद्ध शब्द का उपयोग अपने आप में यह नहीं दर्षाता है कि प्रावधान निदेषात्मक प्रकृति का है। कुछ मामलों में, विधायिका शुद्ध पारंपरिक षिष्टाचार के मामले में ''दे सकेगा'' (may) शब्द का उपयोग कर सकती है और फिर भी एक अनिवार्य बल का इरादा रखती है। इसलिए ''दे सकेगा'' (may) शब्द के कानूनी अर्थ की व्याख्या करने के लिए, न्यायालय को विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा, अर्थात्, अधिनियम का उद्देष्य और योजना, संदर्भ और पृष्ठभूमि जिसके

2 (2008) 12 SCC 372

विरूद्ध शब्दों का उपयोग किया गया है, इस शब्द के उपयोग से प्राप्त होने वाले उद्देष्य और लाभ, और इसी तरह। यह भी सुस्थापित है कि जहां ''दे सकेगा'' (may) शब्द में दायित्व के साथ एक विवेक शामिल है या जहां यह उपयोगिता अधिनियम में विषयों के एक सामान्य वर्ग को सकारात्मक लाभ प्रदान करना है, या जहां न्यायालय एक उपाय को आगे बढ़ाता है और शरारत को दबाता है, या जहां शब्द निर्देषिका को महत्व देने से अधिनियम का उद्देष्य ही विफल हो जाएगा, ''दे सकेगा'' (may) शब्द की व्याख्या एक अनिवार्य बल को व्यक्त करने के लिए की जानी चाहिए। एक सामान्य नियम के रूप में, ''दे सकेगा'' (may) शब्द विवेक प्रदान करने के लिए अनुमेय और क्रियाषील है और विषेष रूप से, जहां इसका उपयोग ''देगा'' (shall) शब्द के साथ किया जाता है, जो सामान्यतः आज्ञापक प्रकृति का होता है क्योंकि यह एक कर्तव्य को लागू करता है। हालांकि, ऐसे मामले भी कम नहीं हैं जहां ''दे सकेगा'' (may), ''देगा'' (shall) और ''अवष्य'' (must) शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या इन शब्दों का उपयोग निदेषात्मक या आज्ञापक के अर्थ में किया जा रहा है, प्रासंगिक परिस्थितियों के साथ–साथ विधायिका के इरादे पर भी गौर किया जाना चाहिए।

19. ''17. भाषा के अनिवार्य अनुपालन या निर्देषात्मक प्रभाव का अंतर विधि में प्रयुक्त भाषा और उसके उद्देष्य, प्रयोजन और प्रभाव पर निर्भर करता है। ''देगा'' (shall) या ''दे सकेगा'' (may) षब्द के उपयोग में परिलक्षित अंतर शक्ति प्रदान करने पर निर्भर करता है। संदर्भ के आधार पर, ''दे सकेगा'' (may) का अर्थ हमेषा दे सकेगा नहीं होता है। प्रावधान के अनुपालन को सक्षम करने के लिए ''दे सकेगा'' (may) एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन ऐसे मामले भी हैं, जिनमें विभिन्न कारणों से, जैसे ही कानून के अंतर्गत आने वाले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यक्ति को शक्ति सौंपी जाती है, तो उस शक्ति का प्रयोग करना उसका कर्तव्य के गैर–निष्पादन के लिए विषेष उपाय निर्धारित किया जाता है।''

20. यदि विधानमंडल का यह स्थापित आशय प्रतीत होता है कि वह बाध्यता का भाव व्यक्त करे, जैसे कि जब कोई दायित्व बनाया जाता है, तो ''दे सकेगा'' (may) षब्द का प्रयोग न्यायालय को बाध्यता या दायित्व का प्रभाव देने से नहीं रोकेगा। जहां विधि पूरी तरह से सार्वजनिक हित में पारित किया गया था और निजी नागरिकों के अधिकारों को किसी क्षेत्र के सामान्य विकास के हित में या झुग्गी–झोपड़ियों और अस्वच्छ क्षेत्रों को हटाने के हित में काफी हद तक संषोधित और सीमित किया गया है। हालांकि ''दे सकेगा'' (may) षब्द के प्रयोग में वैधानिक निकाय को शक्ति प्रदान की जाती है, लेकिन उस शक्ति को एक वैधानिक कर्तव्य के रूप में समझा जाना चाहिए। इसके विपरीत, ''देगा'' (shall) षब्द को प्रयोग वैकल्पिक या अनुमेय अर्थ में उपयोग को इंगित कर सकता है। यद्यपि सामान्य अर्थ में ''दे सकेगा'' (may) समर्थकारी या वैवेकिक है और ''देगा'' (shall) आज्ञापक है, लेकिन अर्थ अलोचदार और अनुल्लंघनीय नहीं है। जहां ''दे सकेगा'' (may) षब्द को निदेषात्मक प्रकृति के रूप में व्याख्यायित करने से अधिनियम का मूल उद्देष्य निरर्थक हो जाएगा, वहीं ''दे सकेगा'' (may) षब्द का अर्थ ''देगा'' (shall) होना चाहिए।

21. सहायक क्रियाओं जैसे ''दे सकेगा'' (may) और ''देगा'' (shall) की व्याख्या करने का अंतिम नियम विधायी मंषा की खोज करना है; और ''दे सकेगा'' (may) और''देगा'' (shall) षब्दों का उपयोग उसके विवेक या आदेषों के बारे में निर्णायक नहीं है। ''दे सकेगा'' (may) और 'करेगा' ''देगा'' (shall) षब्दों का उपयोग न्यायालयों को नियंत्रित या निर्णायक प्रभाव दिए बिना विधायी मंषा का पता लगाने में सहायता प्रदान कर सकता है। न्यायालयों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को विषय–वस्तु, प्रावधानों के उद्देष्य, कानून द्वारा सुरक्षित किए जाने वाले उद्देष्य पर विचार करना होगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और साथ ही नियोजित वास्तविक शब्दों पर भी विचार करना होगा।''

14. **सुरविंदर सिंह देसवाल उर्फ कर्नल एस.एस. देसवाल और अन्य बनाम वीरेंद्र गांधी'**[3] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1881 की धारा 148 के प्रावधान की जांच की और माना कि यह अनिवार्य प्रावधान है। निर्णय की प्रासगिंक कंडिका निम्नानुसार हैः–

8. जहां तक अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत तर्क कि यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संषोधित धारा 148 में प्रयुक्त ऐसी राषि जमा करने का आदेष ''दे सकेगा'' (may) जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर की न्यूनतम 20 प्रतिषत होगी और प्रयुक्त शब्द ''देगा'' (shall) नहीं है और इसलिए प्रथम अपील न्यायालय के पास अपीलार्थी को अमुक राषि जमा करने का निर्देष देने का विवेकाधिकार निहित है और अपील न्यायालय ने इसका अर्थान्वयन आज्ञापक के रूप में किया है जो, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थिति वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 के उपबंधों के प्रतिकूल है, का संबंध है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की संषोधित धारा 148 को समग्र रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम की संषोधनकारी धारा 148 के उद्देष्यों और कारणों के साथ पढ़े जाने पर यद्य पि यह सही है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की संषोधित धारा 148 में प्रयुक्त शब्द ''दे सकेगा'' (may) है, तो भी इसका साधारणतया, ''नियम'' या ''देगा'' (shall) के रूप में अर्थान्वयन किया जाना चाहिए न कि अपील न्यायालय द्वारा जमा करने का निर्देष देना एक अपवाद है जिसके लिए विषेष कारण दिए जाने चाहिए, के रूप में किया जाना चाहिए। अतः परक्राम्य लिखत अधिनियम की संषोधित धारा 148 में अपील न्यायालय को अपील के लंबित रहते हुए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 (2019) 11 SCC 341

अपीलार्थी–अभियुक्त को या तो मूल परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर या दंडादेष को निलंबित करने के लिए अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन पर पर भी ऐसी राषि जमा करने का निदेष देने के लिए आदेष पारित करने की शक्ति प्रदत्त की गई है, जो जुर्माने या प्रतिकर के 20 प्रतिषत से कम नहीं होगी। पूर्वोक्त अर्थान्वयन इस तथ्य पर विचार करते हुए किया जाना आवष्यक है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की संषोधित धारा 148 के अनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिषत जमा किए जाने का निदेष दिया जाना है और ऐसी रकम आदेष की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर जमा की जानी चाहिए जो अपीलार्थी द्वारा दर्षित पर्याप्त कारण से अपील न्यायालय द्वारा निदेषित की जाए। अतः, यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम की संषोधित धारा 148 का ऐसी रीति में प्रयोजनात्मक रूप से निर्वचन किया जाता है, तो इससे न केवल परक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संषोधन के उद्देष्यों और कारणों की पूर्ति होगी अपितु परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 की भी पूर्ति होगी। परक्राम्य लिखत अधिनियम को समय–समय पर संषोधित किया जाता रहा है जिससे कि अन्य बातों के साथ–साथ चैकों का अनादरण के अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपबंध किया जा सके और इसका कारण, अनादृत चैकों के बेईमान लेखीवालों द्वारा अपीलें फाइल करने और कार्यवाहियों पर आदेष प्राप्त करने में सरलता के कारण विलंबकारी दाव–पेंच हैं और इसके परिणामस्वरूप अनादरित चैक के पाने वाले के साथ अन्याय होता है जिसे चैक के मूल्य को वसूल करने के लिए पर्याप्त समय और साधन गंवाने पड़ते है और इस बात का अवलोकनकरने के पश्चात्ष ऐसे विलंब से चैक से होने वाले संव्यवहारों की आदरणीयता पर जोखिम होता है, संसद् ने यह उचित समझा कि परक्राम्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिखत अधिनियम की धारा 148 का संधोषन किया जाए। इसलिए ऐसा प्रयोजनात्मक निर्वचन परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संषोधन के साथ–साथ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के भी उद्देष्यों और कारणों को अग्रसर करेगा।

15. **जी.जे. राजा बनाम तेजराज सुराणा'**[4] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1881 की संषोधित धारा 143–क की जांच की गई है और अभिनिर्धारित किया गया है कि यह भविष्यलक्षी प्रभाव है न कि भूतलक्षी प्रभाव। उक्त निर्णय का प्रासंगिक कण्डिका निम्नानुसार हैः–

19. यह अवष्य कहा जाना चाहिए कि अधिनियम में धारा 143–क को शामिल करने के पूर्व कानून के किताब में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके अन्तर्गत किसी अभियुक्त के दोषी ठहराए जाने से पूर्व या विचाराधीन अपराध के लिए बाध्य किया जा सके। संहिता की धारा 421 या संहिता की धारा 357 के माध्यम से जुर्माना या प्रतिकर लगाना और आनुषंगिक वसूली भी व्यक्ति के किसी अपराध का दोषी पाए जाने के बाद ही हो सकती है। यही कानून की स्थिति थी जिसे अधिनियम में धारा 143–क को शामिल और लागू करके बदलने की मांग की गई थी। अब यह एक दायित्व अधिरोपित करता है कि अपने अपराध दोषी ठहराए जाने या दोषसिद्धि के आदेष से पूर्व भी अभियुक्त को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में धन की वसूली के लिए राज्य शासन तंत्र की सहायता से, अंतरिम प्रतिकर भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसलिए, व्यक्ति को एक नई अक्षमता या दायित्व का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार यह विधिक स्थिति *ई.एस.आई. कॉरपोरेषन बनाम द्वारका नाथ भार्गव, (1997) 7 एससीसी 131* में विचार के लिए उत्पन्न स्थिति से पूरी तरह भिन्न है।

23. अंतिम विष्लेषण में, हम धारा 143 क को भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होना मानते हैं और यह कि धारा 143 क के प्रावधानों को केवल उन मामलों में लागू

4 (2019) 19 SCC 469

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया जा सकता है, जहां अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध उक्त धारा 143 क के विधि में शामिल होने के बाद किया गया हो। परिणामतः विचारण न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेषों को अपास्त किया जाना आवष्यक है। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्देष के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई धनराषि इस आदेष की तिथि से दो सप्ताह के भीतर उस पर अर्जित ब्याज के साथ अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी।''

16. इसलिए, शब्द ''कर सकता है'' को ''करेगा'' के रूप में माना जाएगा और यह वैवेकिक नहीं है, किन्तु निर्देषात्मक प्रकृति की है, इसलिए, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा परिवादी के पक्ष में अंतरिम प्रतिकर का आदेश उचित तौर पर पारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **एल.जी.आर. एंटरप्राइजेज (पुर्वोक्त)** में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः–

8. इसलिए, जब भी विचारण न्यायालय, अधिनियम की धारा 143 क(1) के अंतर्गत, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, तो वह कारण अभिलिखित करेगा कि वह आरोपी (चेक के लेखीवाल) द्वारा परिवादी को अंतरिम प्रतिकर देने का निर्देष क्यों देता है। कारण अलग–अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अभियुक्त लंबे समय तक फरार रहता है और इस प्रकार कार्यवाही को लंबा खींचता है या अभियुक्त जानबूझकर लंबे समय तक समन की तामिली से बचता है और बार–बार समन भेजने के बाद ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या किसी मामले में प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व, ठोस सबूत द्वारा सिद्ध होती है जिसे अभियुक्त प्रत्यक्षतः अस्वीकार नही कर सकता है या जहां अभियुक्त ऋण या दायित्व को आंषिक रूप से स्वीकार करता है या जहां अभियुक्त व्यक्ति साक्षीयों से प्रति–परीक्षण नहीं करता है और एक के बाद एक याचिका प्रस्तुत करके कार्यवाही में विलंब कारित करता है या

अभियुक्त फरार हो जाता है और गैर–जमानती वारंट के आधार पर उसे लंबे समय के बाद न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या वह लंबे समय के बाद गैर–जमानती वारंट वापस लेने की याचिका प्रस्तुत करता है और न्यायालय गैर–जमानती वारंट वापस लेने की उसकी याचिका पर विचार करते समय अधिनियम की धारा 143 क(1) को लागू कर सकता है। यह सूची संपूर्ण नहीं है और यह विभिन्न परिस्थितियों के बारे में अधिक उदाहरणात्मक है, जिसके अन्तर्गत विचारण न्यायालय को अधिनियम की धारा 143 क(1) के अन्तर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उचित ठहराया जाएगा, जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी को 20 प्रतिषत का अंतरिम प्रतिकर देने का निर्देष दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अधिनियम की धारा 143 क(1) के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के आदेष में कारण शामिल होने का दूसार कारण यह है कि इसे हमेषा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाएगी। यह न्यायालय याचिका पर विचार करते समय केवल अधिनियम की धारा 143 क(1) के अन्तर्गत आदेष पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर ही विचार करेगा। जिस आदेष पर अपील या पुनरीक्षण किया जा सकता है, उसे हमेषा कारणों से समर्थित होना चाहिए। बिना कारणों के वैवेकिक आदेष प्रथम दृष्टि में अवैध है और इसे केवल इसी आधार पर अपास्त कर दिया जाएगा। श

18ण याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्णय यह भी इंगित करता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, पीड़ित को देय प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक तर्क संगत आदेष पारित करना होता है, लेकिन किंचित भी यी सुझाव नहीं देता है कि अधिनियम, 1881 की धारा 143 क के अनुसार प्रतिकर करना वैविकेक प्रकृति का है।

19. अधिनियम, 1881 के उद्देष्यों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विधि पर विचार करते हुए अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के अवलोकन से, मेरा विचार है कि अधिनियम, 1881 की धारा 143 क में संषोधन आज्ञापक प्रकृति का है, इसलिए, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में अंतरिम प्रतिकर का उचित आदेष पारित किया गया है और इस प्रकार के आदेष पारित करने में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं की है। विद्वान एकादष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष ने भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संषोधन को निरस्त करने में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं की है, तथा इस पर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप करने की आवष्यकता है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका गुण–दोष से रहित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, अतएव इसे निरस्त किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेष नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(नरेन्द्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**